सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

26 श्रावण, 1943 (श०)

संख्या-425 राँची, मंगलवार, 17 अगस्त, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

29 जुलाई, 2021

संख्या-5/आरोप-1-94/2014का०-3520--राँची, श्री विनोद कुमार झा, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-568/03), तत्कालीन उप सचिव, जल संसाधन विभाग-सह-उप समाहर्त्ता, राजस्व प्रमंडल, राँची के विरूद्ध सेवानिवृत्त अंचल अधिकारी श्री सुधीर कुमार ठाकुर से औपबंधिक उपादान की राशि की निकासी हेतु कैशियर श्री दिलीप कुमार के माध्यम से 20,000/- (बीस हजार) रूपये रिश्वत की माँग करने संबंधी आरोपों हेतु इनके विरूद्ध निगरानी थाना कांड सं०-16/2013, दिनांक 08.05.2013 दर्ज की गई। उक्त थाना कांड में श्री झा के विरूद्ध विधि (न्याय) विभाग, झारखण्ड, राँची के आदेश सं०-78/जे०, दिनांक 31.08.2013 द्वारा अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गई ।

श्री झा के विरूद्ध दर्ज उक्त थाना कांड में इनके द्वारा दिनांक 28.01.2014 को निगरानी न्यायालय, राँची में आत्मसमर्पण किया, जिसके आलोक में विभागीय आदेश सं०-3684, दिनांक 21.04.2014 द्वारा श्री झा को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-99 के अन्तर्गत दिनांक 28.01.2014 से 22.02.2014 तक न्यायिक हिरासत में बितायी गयी अवधि के लिए निलंबित किया गया तथा दिनांक 23.02.2014 के पूर्वाहन से इन्हें निलंबन मुक्त किया गया ।

पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राँची के पत्रांक-11084/अभि०, दिनांक 02.11.2018 द्वारा निगरानी थाना कांड सं०-16/13 एवं निगरानी (स्पेशल) वाद सं०-17/2013 के प्राथमिकी अभियुक्त श्री झा, तत्कालीन उप सचिव, जल संसाधन विभाग-सह-उप समाहर्त्ता, राजस्व प्रमंडल, राँची को श्री संतोष कुमार, माननीय विशेष न्यायाधीश, ए०सी०बी०, राँची द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा-7 के अन्तर्गत दोषी पाये जाने के फलस्वरूप दिनांक 06.09.2018 को पारित न्यायादेश में उन्हें एक वर्ष सश्रम कारावास एवं 5,000/- (पाँच हजार रूपये) का जुर्माना तथा जुर्माना नहीं देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास संबंधी सूचना उपलब्ध करायी गयी। माननीय विशेष न्यायाधीश, ए०सी०बी० राँची द्वारा दिनांक 06.09.2018 को पारित न्यायादेश का **Operative Part** निम्नवत् है-

"Thus, on the above facts considering all the fact and circumstances of the matter together and also suffering of the complainant, A-1 is directed to under go R.I. for one year also pay a fine of Rs. 5000/- failing which, he will have to under go S.I. for three months further after expiry of the main period of sentence for committing the offence punishment U/s 7 of the P.C. Act."

माननीय न्यायालय द्वारा श्री झा को दंडित किए जाने के कारण झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(2)(ख) के तहत् इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करने एवं उक्त नियमावली के नियम-14(xi) के तहत् इनको सेवा से बर्खास्त करने के बिन्दु पर इनसे कारण पृच्छा पूछने पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया गया ।

तत्पश्चात् विभागीय अधिसूचना सं०-2872, दिनांक 10.12.2018 द्वारा आदेश निर्गत होने की तिथि से श्री झा को निलंबित किया गया तथा विभागीय पत्रांक-9068, दिनांक 13.12.2018, पत्रांक-4177, दिनांक 28.05.2019, पत्रांक-4760, दिनांक 18.06.2019 एवं पत्रांक-7535, दिनांक 18.09.2019 द्वारा उनसे कारण पृच्छा की माँग की गई ।

श्री झा से कारण पृच्छा का जवाब अप्राप्त रहने के कारण समीक्षोपरांत, श्री झा को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(xi) के तहत् सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री द्वारा लिया गया। उक्त निर्णय के आलोक में सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-456, दिनांक 19.02.2020 द्वारा श्री झा को सेवा से बर्खास्तगी पर सहमति संसूचित की गई है। इसी बीच, श्री झा दिनांक 29.02.2020 को सेवानिवृत्त हो गये हैं ।

समीक्षोपरांत, श्री झा के विरूद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(क) के अन्तर्गत इनकी समूची पेंशन रोक लगाने के बिन्दु पर कारण पृच्छा पूछने पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया गया। उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक-3461, दिनांक 21.07.2020 द्वारा श्री झा से समूची पेंशन पर रोक संबंधी दण्ड पर कारण-पृच्छा की माँग की गई एवं इसके लिए विभागीय पत्रांक-6514, दिनांक 14.12.2020 द्वारा स्मारित किया गया। श्री झा के पत्र, दिनांक 20.01.2021

द्वारा कारण पृच्छा समर्पित किया गया है, जिसमें उनके द्वारा सूचित किया गया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राँची के न्यायालय द्वारा दिनांक 06.09.2018 को पारित न्यायादेश के विरूद्ध उनके द्वारा झारखण्ड उच्च न्यायालय में अपीलवाद संख्या-1402/2018 दायर किया गया है एवं उक्त आधार पर उनके द्वारा पेंशन नियमावली के नियम-43(क) के अधीन प्रस्तावित दण्ड को लागू नहीं करने का अनुरोध किया गया ।

श्री झा द्वारा समर्पित कारण पृच्छा की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि उनके द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में दायर अपीलवाद संख्या-1402/2018 में विभागीय कार्यवाही रोकने अथवा प्रस्तावित दण्ड के विरूद्ध कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, अतः श्री झा द्वारा समर्पित कारण पृच्छा के समीक्षोपरांत इनके कारण पृच्छा को अस्वीकार करते हुए श्री झा के विरूद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(क) के तहत् इनकी समूची पेंशन पर रोक लगाने संबंधी दण्ड अधिरोपित करने के निर्णय को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिसके आलोक में विभागीय पत्रांक-2033, दिनांक 31.03.2021 एवं पत्रांक-3217, दिनांक 15.07.2021 द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग, झारखण्ड, राँची से श्री झा की समूची पेंशन पर रोकने संबंधी दण्ड पर सहमति की माँग की गई। उक्त के आलोक में झारखण्ड लोक सेवा आयोग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1507, दिनांक 23.07.2021 द्वारा श्री झा की समूची पेंशन पर रोक लगाने संबंधी दण्ड पर सहमति संसूचित की गई है ।

अतः श्री विनोद कुमार झा, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-568/03), तत्कालीन उप सचिव, जल संसाधन विभाग-सह-उप समाहर्त्ता, राजस्व प्रमंडल, राँची के विरूद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(क) के तहत् उनकी समूची पेंशन पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 425 -- 50